राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल अपील संख्या 6136/2015

रणवीर कुमार पुत्र श्री राजा राम, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 12, नुकेरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़

----अपीलार्थी

बनाम

1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से

2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एस.के.वर्मा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विपुल धरणिया

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

आदेश जारी किया गया 02/08/2024

आदेश रिजर्व किया गया 30/07/2024

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है, जो प्रतिवादियों द्वारा तकनीकी हेल्पर के पद पर नियुक्ति से इस आधार पर इन्कार करने से व्यथित है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला विचाराधीन है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने अक्टूबर 2013 में तकनीकी हेल्पर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए 984 पद विज्ञापित किए गए। याचिकाकर्ता, जो इस पद के लिए अपेक्षित योग्यता रखता था, ने एससी श्रेणी में आवेदन किया। याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र जारी किया गया और वह लिखित परीक्षा में शामिल हुआ और उसे 128 अंक मिले।

प्रतिवादियों ने अंतिम चयन के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए रिक्तियों के 1.5 गुना तक मेधावी उम्मीदवारों की सूची तैयार की। उक्त सूची में याचिकाकर्ता को क्रमांक 1119 पर रखा गया था। उसे दिनांक 16.04.2015 को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के निर्देश देते हुए कॉल लेटर जारी किया गया था। कॉल लेटर में उल्लेख किया गया था कि उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा उसे किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी तथा यदि उसे दोषी ठहराया गया है या उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो उसका विवरण भी उल्लेखित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि को प्रतिवादियों के समक्ष उपस्थित हुआ। उस दिन उसने इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उसके विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 447 एवं 323 के अंतर्गत आपराधिक मामला लंबित है। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात प्रतिवादियों ने अभ्यर्थियों के अंक प्रकाशित किए। कट ऑफ मार्क्स के अनुसार एससी वर्ग के अभ्यर्थी, जिसने 114 अंक प्राप्त किए हैं, को तकनीकी हेल्पर के पद पर नियुक्ति दी गई है, जबकि याचिकाकर्ता, जिसने 128 अंक प्राप्त किए हैं, को इस आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया है कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। प्रतिवादियों की उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध, मनमानी और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि किसी आपराधिक मामले का लंबित होना ही किसी योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को आरोप का दोषी नहीं ठहराया गया है और मुकदमा अभी भी चल रहा है। उन्होंने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराधों में नैतिक अधमता शामिल नहीं है, वास्तव में, वे प्रकृति में मामूली हैं। यह साथी ग्रामीणों के साथ मामूली मुद्दे पर विवाद था और याचिकाकर्ता को केवल इसलिए मामले में फंसाया गया है क्योंकि वह मामले में शामिल एक पक्ष का पारिवारिक सदस्य है। जो भी हो, अब दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद करने का फैसला किया है और समझौता कर लिया है और हर संभावना में याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का आगे तर्क यह है कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के मामले में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि

एक दोषी व्यक्ति को भी सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है, यदि नियुक्ति प्राधिकारी को लगता है कि ऐसे व्यक्ति में सुधारात्मक विशेषताएं हैं और यह मानने के कारण हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को दूर कर लिया है। हालांकि, वर्तमान मामले में ऐसा मामला नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया है। मामले की सुनवाई में अभी भी लंबा समय लग सकता है और यदि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर नियुक्ति से वंचित किया जाता है, तो बरी होने की स्थिति में भी उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

(1) गुजरात राज्य और अन्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह [1999(1) एस.सी.सी. 529]

(2) पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [1996 एस.सी.सी. (4) 17]

(3) बृजेन्द्र सिंह मीना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [1997(7) एस.एल.आर. 655]

इन आधारों पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका स्वीकार करने की प्रार्थना की।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी का विवेकाधिकार है कि वह देखे कि योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी में प्रवेश करता है या नहीं, जो चरित्र और पूर्ववृत्त पर आधारित है और प्रचलित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास आपराधिक पूर्ववृत्त है क्योंकि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास सुसंगत नियमों के तहत आवश्यक चरित्र नहीं है, इसलिए वह प्रतिवादी निगम में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। नियुक्ति से इनकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई उनके अधिकारों के भीतर है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

(1) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य [(2018) 1 एससीसी 797]

(2) भीया राम जाजरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 602/2022 दिनांक 02.11.2022 को निर्णीत]

इन प्रस्तुतियों के साथ, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका खारिज की जाए।

5. याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री के साथ-साथ पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया गया।

6. इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकारी सेवा में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाना अपेक्षित है जिनका चरित्र ईमानदार हो और जो किसी भी नैतिक कलंक से मुक्त हों। चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए एक पूर्व शर्त है। यहां प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता को केवल इसलिए सरकारी सेवा से वंचित किया जा सकता है कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447 और 323 के तहत अपराध का मामला लंबित है। सामान्यतः नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए। हालांकि यहां याचिकाकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, बल्कि मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर भी इस अदालत ने इस पहलू पर विचार किया है कि जिन अपराधों के लिए उसे आरोपित किया गया है, वे नैतिक अधमता से जुड़े हैं या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पवन कुमार (सुप्रा) के मामले में, एक ऐसे मामले पर विचार करते हुए, जिसमें एक व्यक्ति को धारा 294 आईपीसी के तहत अपराध के लिए 20 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, नैतिक अधमता और सरकारी सेवा में स्वीकार्यता या बाधा के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और निम्नानुसार माना:

> "12. "नैतिक अधमता" एक अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग कानूनी और सामाजिक भाषा में ऐसे आचरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से नीच, अधम, भ्रष्ट हो या जिसका किसी भी तरह से अधमता से संबंध हो। हरियाणा सरकार ने पूर्व दोषियों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करते हुए 2.2.1973 को एक नीतिगत निर्णय लिया (पेपर-बुक में अनुलग्नक ई), भारत सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, कि नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व दोषियों को सरकारी सेवा में नहीं लिया

जाना चाहिए। इस संबंध में जानकारी और मार्गदर्शन के लिए नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों की एक सूची तैयार की गई थी। उल्लेखनीय रूप से धारा 294 आईपीसी नैतिक अधमता वाले अपराधों की सूची में सूचीबद्ध नहीं पाई जाती है। बाद में, आगे विचार करने पर, हरियाणा सरकार ने 17/26.3.1975 को समझाया कि नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व दोषियों को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाना चाहिए। 2.2.1973 के नीतिगत निर्णय को संशोधित किया और नैतिक अधमता के निर्धारण को सुव्यवस्थित करके पहले के निर्णय को संशोधित करने का निर्णय लिया, जैसा कि निम्नलिखित है:

... किसी अपराध में नैतिक अधमता शामिल है या नहीं, यह निर्धारित करने में सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए:

(1) क्या दोषसिद्धि के लिए किया गया कार्य ऐसा था जो सामान्य रूप से समाज की नैतिक अंतरात्मा को झकझोर सकता था।

(2) क्या कार्य के लिए प्रेरित करने वाला उद्देश्य आधारहीन था।

(3) क्या किए गए कृत्य के कारण अपराधी को एक भ्रष्ट चरित्र या ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जिसे समाज द्वारा नीची नज़र से देखा जाना चाहिए।

हालांकि, प्रत्येक मामले में निर्णय मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और सक्षम प्राधिकारी को उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेते समय अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। आपकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों की एक सूची संलग्न है। हालांकि, इस सूची को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है और ऐसे अपराध हो सकते हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं लेकिन जो कुछ स्थितियों और परिस्थितियों में नैतिक अधमता से जुड़े हो सकते हैं।

आईपीसी की धारा 294 अभी भी सूची से बाहर है। इस प्रकार धारा 294 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना अपने आप में नैतिक पतन नहीं होगा जो उसे राज्य की सेवा करने के अवसर से वंचित करता है जब तक कि तथ्य और परिस्थितियाँ, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया, ऊपर उद्धृत नीतिगत निर्णय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करतीं।"

याचिकाकर्ता यहाँ आईपीसी की धारा 447 और 323 के तहत अपराधों से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामला एक तुच्छ मुद्दे पर दायर किया गया है और दूसरे पक्ष के कई परिवार के सदस्यों को फंसाना बहुत आम बात है, चाहे वे अपराध में सक्रिय रूप से भाग लेते हों या नहीं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा कहा गया है कि पक्षों ने विवाद सुलझा लिया है और इस बात की पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया जाएगा। आईपीसी की धारा 447 और 323 के तहत दोनों अपराध जमानती और समझौता योग्य हैं और इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 320 के अनुसार, ट्रायल जज समझौते के आधार पर अभियुक्त को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसा भी हो, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को प्राणघातक अपराध करने का आरोपी कहा जा सकता है। भीया राम जजरा (सुप्रा) के मामले में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय स्पष्ट रूप से अलग है, क्योंकि याचिकाकर्ता एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के आरोप का सामना कर रहा था, जो समाज के खिलाफ एक कृत्य है और इस प्रकार, उसे शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रदीप कुमार (सुप्रा) के मामले में निर्णय भी मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया है और वह सिर्फ मुकदमे का सामना कर रहा है और यह आपराधिक न्यायशास्त्र का अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाएगा।

7. अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली साक्ष्य की स्वीकार्यता के मानदंड निर्धारित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है। जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषसिद्धि द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है, तब तक उसकी निर्दोषता की धारणा को लागू किया जाना चाहिए। जब मुकदमा अभी भी चल रहा हो, तो आपराधिक मामले में शामिल होना किसी व्यक्ति के आपराधिक या अस्वस्थ चरित्र को दर्शाने का दर्पण नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह (सुप्रा) के मामले में एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामले में शामिल होने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि वह 'दोषी' है। उस पर अभी भी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना है और सच्चाई का पता अंततः न्यायालय द्वारा ही लगाया जाना है, जहाँ अभियोजन का संचालन किया जाता है।"

8. वर्तमान समय में, जब हमारे देश की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में, जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो उसके गाँव की पृष्ठभूमि के साथ, जहाँ परम्परागत और बार-बार संपत्ति विवाद, झगड़े आदि होते हैं और पूरे परिवार का नाम आरोपी के रूप में घसीटा जाता है, ऐसी संलिप्तता जिसे अभी तक झूठा या अन्यथा नहीं पाया गया है, उसे व्यक्ति के चरित्र को असंतोषजनक ठहराने के लिए कसौटी या निर्णायक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता है, ताकि उसे उसकी मेहनत से अर्जित नौकरी से वंचित किया जा सके। यह बताना उचित है कि निचली अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कारण, कई मामलों में सुनवाई में लंबा समय लग जाता है। यदि किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो भले ही बाद में उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए सरकारी नौकरी पाने की बहुत कम गुंजाइश है। इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि आरोपित अपराध समझौता योग्य हैं और पक्षों ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और तदनुसार, उनके बीच समझौता भी हो गया है। दूसरी ओर, किसी आपराधिक मामले का लंबित होना, जिसमें नैतिक पतन शामिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति और कर्तव्यों के पालन में बाधा नहीं माना जा सकता।

9. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस विचार पर है कि आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई अन्यायपूर्ण, मनमानी और अनुचित है। याचिकाकर्ता को तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया जाता है यदि वह अन्यथा इस पद के लिए पात्र है। तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। अनुलग्नक-आर/1 दिनांक 08.01.2016 के अनुसार, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है। उसे सभी योग्य लाभों के साथ सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। स्थगन याचिका का निपटारा किया जाता है।

10. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(फरजंद अली),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।